

कार्यालय वन संरक्षक, उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

Email : cfkumaon_north@rediffmail.com , (05962) 231099 Fax : 230397

पत्रांक - 2481/12-1 (2) अल्मोड़ा, दिनांक, - 23.02.2026.

सेवा में,

प्रमुख वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन संरक्षण, इन्दिरा नगर, फारेस्ट कालोनी,
उत्तराखण्ड, देहरादून।

विषय :-

जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के किमी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-चकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 है० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं०-151120/2022)

संदर्भ:-

भारत सरकार का पत्रांक- 08बी०/यू०सी०पी० /06/80/2022/एफ०सी०/ दि०-09.02.2026

महोदय,

उपरोक्त संदर्भित विषयक पत्र के क्रम में प्रदर्शित आपत्तियों का निराकरण कर प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा के पत्रांक 5214/12-1(2), दिनांक 18.02.2026 द्वारा सूचित किया है, जिसे आपके सूचनार्थ प्रेषित किया जा रहा है, कृपया अग्रेत्तर कार्यवाही करना चाहें।

संलग्न- उपरोक्तानुसार

भवदीय



(चन्द्र शेखर जोशी)

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊँ वृत्त, उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

०/८

12.6.2/112

कार्यालय

प्रभागीय वनाधिकारी, अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

दूरभाष : 05962.230005, फ़ैक्स : 05962.232182 ई-मेल almoraforestdivision@rediffmail.com

पत्रांक 5214 / 12-1(2) अल्मोड़ा

दिनांक 18/02/2026

सेवा में,

वन संरक्षक,

उत्तरी कुमाऊ वृत्त,

उत्तराखण्ड, अल्मोड़ा।

विषय - जनपद अल्मोड़ा के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग सं० 309 ए० के कि०मी० 171.00 से 206.00 (बेरीनाग-घकोड़ी-काण्डा-बागेश्वर-ताकुला) दो लेन में चौड़ीकरण हेतु 18.405 हे० वन भूमि का गैर वानिकी कार्यों हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग खण्ड, लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन (प्रस्ताव सं० FP/UK/ROAD/151120/2022)

संदर्भ - भारत सरकार पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्रालय क्षेत्रीय कार्यालय देहरादून का पत्र सं० 08 बी०/यू०सी०पी०/06/80/2022/एफ०सी० दिनांक 09.02.2026।

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के क्रम में दिनांक 30.01.2026 को सम्पन्न हुई बैठक में दिये गये निर्देशों की अनुपालन आख्या निम्नवत प्रेषित है।

क्र. सं.	निर्देश	आख्या
1	Attempt to carry out transplantation of the maximum possible number of saplings/poles/ trees of indigenous and endemic tree species- specifically of ecologically important oak, buransh and deodar species, at the cost of the user agency. The divisional Forest Officer (DFO) shall submit details of the proposed transplantation works including species-wise number of trees and locations of transplantation etc.	प्रस्ताव के सापेक्ष 0-20 व्यास वर्ग के प्रभावित वृक्षों, जिसमें मुख्यतः बॉज के 373 वृक्ष, व बुराश 69 के वृक्ष व देवदार 13 वृक्षों का प्रत्यारोपण किया जायेगा, जिनके प्रत्यारोपण की लागत प्रस्तावक विभाग द्वारा वहन की जायेगी। उक्त सम्बन्ध में प्रस्तावक विभाग द्वारा प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत कर लिया गया है। (सलग्न 01)
2	To carry out assisted natural regeneration (ANR) of ecologically important Oak, Buransh and Edodar species in a forest area adjoining to the proposed diversion area. The Divisional Forest Officer (DFO) shall submit details of the proposed ANR works. Including species-wise number of trees and locations of ANR sites.	प्रभाग द्वारा प्रभावित वृक्षों के सापेक्ष 25.00 हे० क्षेत्र में बॉज, बुराश व देवदार प्रजातियों का ए०एन०आर० मॉडल पर वृक्षारोपण कार्य किया जायेगा। यह कार्य अल्मोड़ा वन क्षेत्र के अन्तर्गत शीतलाखेत कम्पार्ट न० 06 में 5.00 हे०, गणानाथ कम्पार्ट न० 08 में 5.00 हे०, गणानाथ क०सं० 18 में 5.00 हे० व स्याहीदेवी क०सं० 08 में 10.00 हे० में किया जायेगा, जिसका विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (सलग्न 02)
3	The state Forest Department shall undertake additional plantation of 3730 Oak, 690 Buransh and 130 Deodar saplings (i.e, ten times the number of Oak, Buransh and Deodar trees proposed for felling), at the cost of the user agency. The plantation scheme, along with site details and locations shall be submitted to this office.	इसके अतिरिक्त 3730 बॉज, 690 बुराश व 130 देवदार के पौधों का रोपण कार्य कुल 4.55 हे० क्षेत्र में 1000 पौध प्रति हे० की दर से किया जायेगा। यह वृक्षारोपण कार्य राष्ट्रीय राजमार्ग 309 (A) के समीप अल्मोड़ा वन क्षेत्र के कालीमठ कम्पार्ट सं० 04 में किया जायेगा। वृक्षारोपण का विस्तृत प्राक्कलन संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है। (सलग्न 03)

4 The state Government to ensure that details of the enumeration as provided shall be updated in the Privesh portal. As well.	प्रस्ताव में प्रभावित होने वाले वृक्षों की संख्या पूर्व में ही परिवेश पोर्टल में अपलोड कर दी गयी है।
---	--

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,



प्रभागीय वनाधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा।